न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 38/2023(GCMS : 2023/45)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4-ई-8, जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड़, नजदीक गौड़ हॉस्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता पोर्टफोलियों कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

बनाम

1. **श्रीमती नीलम कौर** पत्नी स्वर्गीय श्री गुरप्रीत सिंह (विधिक वारिस स्वर्गीय श्री गुरप्रीत सिंह – मूल ऋणी) निवासी वार्ड नं. 6, 15 एफ फर्स्ट, मटीलीराठान, जिला श्रीगंगानगर। पिन कोड़-335038
2. **श्रीमती हरजिन्द्र कौर** पत्नी श्री महेन्द्र सिंह, निवासी वार्ड नं. 6, 15 एफ फर्स्ट, मटीलीराठान, जिला श्रीगंगानगर। पिन कोड़-335038
3. **महेन्द्र सिंह** पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी वार्ड नं. 6, 15 एफ फर्स्ट, मटीलीराठान, जिला श्रीगंगानगर। पिन कोड़-335038

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 08.03.2023 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण नीलम कौर (विधि वारिस स्वर्गीय श्री गुरप्रीत सिंह) को ऋण सुविधा के रूप में राशि 3.25/-लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृत दिनांक 30.08.2021 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी महेन्द्र सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 88, बुक नं. 451 (क्षेत्रफल 2736 सक्वायर फुट) ग्राम पंचायत मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** नीलम कौर (विधि वारिस स्वर्गीय श्री गुरप्रीत सिंह-ऋणी), हरजिन्द्र कौर एवं महेन्द्र सिंह को 3.25/- लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 30.08.2021 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:30:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी महेन्द्र सिंह **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी अचल** सम्पत्ति **पट्टा नं. 88, बुक नं. 451 (क्षेत्रफल 2736 सक्वायर फुट) ग्राम पंचायत मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **10.03.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों नीलम कौर (विधिक वारिस स्वर्गीय श्री गुरप्रीत सिंह), हरजिन्द्र कौर एवं महेन्द्र सिंह को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 28.09.2022 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 04.10.2022 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 21.10.2022 को प्रकाशन करवाया है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी महेन्द्र सिंह **की दृष्टि बंधक रखी गई अचल** सम्पत्ति **पट्टा नं. 88, बुक नं. 451 (क्षेत्रफल 2736 सक्वायर फुट) ग्राम पंचायत मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह प्रार्थी हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.09.18 15:30:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 28.09.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 28.09.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण नीलम कौर (विधिक वारिस स्वर्गीय श्री गुरप्रीत सिंह), हरजिन्द्र कौर एवं महेन्द्र सिंह को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 04.10.2022 भिजवाये गये है, धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं **अप्रार्थीगण** नीलम कौर (विधिक वारिस स्वर्गीय श्री गुरप्रीत सिंह), हरजिन्द्र कौर एवं महेन्द्र सिंह **को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार** नीलम कौर (विधिक वारिस स्वर्गीय श्री गुरप्रीत सिंह), हरजिन्द्र कौर एवं महेन्द्र सिंह को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। **अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस** अप्रार्थीगण के निवास पर बिना चस्पा किये धारा 13(2) के नोटिस पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने के 23 दिन बाद ही दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 21.10.2022 को प्रकाशन करवाया है।

हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार की धारा 8 निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> **पुरूष की दशा में उतराधिकारी के साधारण नियम : निर्वसीयत मरने वाले हिन्दु पुरूष की सम्पत्ति इस आधार पर उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगीः**
>
> **(क) प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है।**
>
> **(ख) द्वितीयतः , यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है।**
>
> ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:30:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि उसके उत्तराधिकारी की श्रेणी में आते है। इस प्रकरण में मृतक स्वर्गीय श्री गुरप्रीत सिंह की माता, पुत्र, पुत्री आदि जीवित है, नहीं बताया गया जबकि बैंक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में मृतक स्व. श्री गुरप्रीत सिंह की पत्नी नीलम कौर के रूप में दर्ज है, उसे हस्तगत प्रकरण में उत्तराधिकारी बनाया जाकर धारा 13(2) का नोटिस दिया गया है जबकि मृतक स्व. श्री गुरप्रीत सिंह के समस्त उतराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक था। **चूंकि ऋणी स्व. गुरप्रीत सिंह की माता, पुत्र, पुत्री भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956** की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है जिसे भी धारा 13(2) का नोटिस दिया जाना आवश्यक था। **इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का प्रकरण संख्या डब्ल्यूपी नं. 27230/2009 अनवान् एस. सुहैना बानो वगै. बनाम इण्डियन बैंक, एआरएम ब्रांच वगै. निर्णय दिनांक 01.12.2010** अवलोकनीय है। उक्त पैटीशन संख्या 27230/2009 के निर्णय अनुसार मृतक ऋणी/गारंटर के वारिसान को धारा 13(2) का नोटिस उक्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। **नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार** अवलोकनीय है:

<u>Demand Notice</u>

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmiting at the place where the borrower or his agent. empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:30:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper,** one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand noice shall be served on each borrower.

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 28.09.2022 अप्रार्थीगण नीलम कौर (विधिक वारिस स्व. श्री गुरप्रीत सिंह), हरजिन्द्र कौर एवं महेन्द्र सिंह को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा **अप्रार्थी ऋणी स्व. श्री गुरप्रीत सिंह के** समस्त उतराधिकारियों **को पक्षकार नही बनाया गया है और न ही उन्हें धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी किया गया गया है** जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3 के तहत मान्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी स्व. श्री गुरप्रीत सिंह के समस्त** उतराधिकारियों **को पक्षकार न बनाकर एवं धारा 13(2) के नोटिस न जारी कर तामील के [illegible] के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो की अवहेलना की है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:30:10 IST
Reason: SelfAttested

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने 2012 Cr. L.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा–13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 में अप्रार्थी ऋणी के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बाये जाने के कारण और उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना न होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए धारा 13(2) के नोटिस सपठित नियम 3 की पालना करते हुए ऋणी के समस्त उतराधिकारियों को जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करते हुए पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:30:10 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर